रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 1972/माघ 14, 1893
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 1972/MAGHA, 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd February 1972

SUBJECT.—*Imports from U.S.A. against U.S. AID licences.*

No. 18-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71, dated 8th February, 1971 setting out the conditions governing imports against licences granted under U. S. AID Loan No. 386-H-207. The applicability of these conditions was extended to licences granted under U. S. AID Loan No. 386-H/212 under Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 107-ITC(PN)/71, dated 24th August, 1971.

2. Consequent on the suspension of U. S. Non-project AID no letter of credit authorisation under U. S. AID will be issued until further orders. It has also been decided to withdraw with immediate effect the provision contained in para V(b) of Appendix to the Public Notice No. 17-ITC(PN)/71, dated the 8th February, 1971 (and corresponding provisions in the relevant Public Notices relating to U. S. AID Non-Project Loan issued earlier) which permits importers

to avail of credit facilities offered by U. S. Suppliers. Importers, holding valid import licences issued under U. S. AID Non-project Loans and who have so far not established irrevocable letters of credits against them but desire to make imports should hereafter apply to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) indicating the following particulars:—

1. Name of the importer.
2. Industry/Manufacture.
3. Particulars of import licence:—
   - (i) No. and Date.
   - (ii) Value (Rs.).
   - (iii) Date upto which valid.
4. Brief description of goods to be imported.
5. The end product/uses of the goods to be imported and urgency thereof.
6. Names of alternative sources of supply.

It will not be necessary to enclose Bank Guarantee with such applications. Bank Guarantees, should be furnished, if called for by the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1972

विषय.—संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लाइसेंसों के मद्दे संयुक्त राष्ट्र अमरीका से आयात।

संख्या 18-आई० टी० सी० (पी० एन०) 72.— विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 17-आई०टी०सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 8-2-71 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण सं० 386 एच-207 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये लाइसेंसों के मद्दे आयात को शासित करने के संबंध में नियम निर्धारित किये गए थे। इन नियमों की प्रयोज्यता को विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 107-आई० टी० सी० (पी० एन)/71 दिनांक 24-8-72 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण सं० 386 एच-212 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये लाइसेंसों के लिये बढ़ाया गया था।

2. **संयुक्त राज्य गैर-परियोजना**—अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के स्थान होने के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत आगामी आदेशों के जारी होने तक कोई भी साख प्राधिकरण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस बात का भी निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना सं० 17-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 8-2-71 के परिशिष्ट की कंडिका 5 (बी) में निदिष्ट की गई व्यवस्थाएं (और संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण गैर परियोजना के संबंध में पूर्व की जारी की गई संगत सार्वजनिक

सूचनाओं में संबंधित व्यवस्थाएं) जो आयातकों को यू०एस० संभरकों द्वारा प्रदान की गई साख सुविधाओं का उपयोग करने के लिये अनुमति देती है उन्हें हटा दिया जाए। वे आयातक जिनके पास संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण गैर–परियोजना ऋण के अन्तर्गत जारी किये गये वैध आयात लाइसेंस हैं और उन्होंने इन के लिये अभी तक परिवर्तनीय साख पत्र स्थापित नहीं किये हैं किन्तु आयात करने के इच्छुक हैं तो उन्हें चाहिये कि वे भविष्य में निम्न–लिखित ब्यौरे दर्शाते हुए नियंत्रक सहायता लेखा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को आवेदन करें :—

1. आयातक का नाम
2. उद्योग/निर्माण
3. आयात लाइसेंस के ब्यौरे:–
   (1) संख्या तथा दिनांक
   (2) मूल्य (रुपये)
   (3) जिस तारीख तक वैध है।
4. आयात किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।
5. आयात किये जाने वाले माल का अन्तिम उत्पाद/उपयोग और इसकी अत्यावश्यकता।
6. संभरण के विकल्पी स्रोतों के नाम।

इस प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ बैंक गारंटी को संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा। बैंक गारंटियां तभी प्रस्तुत की जानी चाहिये यदि नियंत्रक सहायता लेखा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली द्वारा इस की मांग की जाए।

SUBJECT.—*Import of spare parts by actual users and registered exporters.*

No. 19-ITC(PN)/72.—It has been decided to make the following amendments in the import policy for spare parts pertaining to actual users and registered exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972 and paragraph 84 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971:—

(1) In the case of actual users in the large scale sector, the value of repeat licences for spare parts issued in terms of paragraph 5 of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972, will be reduced by the licensing authorities by one-third. Accordingly repeat licences in terms of the aforesaid policy to actual users in the large scale sector will be issued for a value equal to two-third of the value of previous licences.

(2) The import of permissible spare parts, small tools precision and measuring tools including spare parts of machine tools against licences for raw materials and components will be allowed to the extent of only 10 per sent of the face value of the licence within the overall value of the licence as against 25 per cent laid down in sub-paragraph 84(I)(b) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971. This restriction will also be applicable to licences issued to actual users under the import policy for registered exporters and in their case, the facility of importing spare parts for a

value equal to 5 per sent of the f.o.b. value of exports in respect of which import licence has been issued as contained in sub-paragraph 84(3)(i) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971 will also no longer be available.

2. In the case of consolidated licences for raw materials, components and spares issued to actual users engaged in non-priority industries, the licence-holders will be permitted to import spare parts against such licences not exceeding 10 per cent of the face value of the licence within the overall value of the licence. Within this value, the licensee can import restricted spare parts listed in Appendix 3 of the Red Book (Vol. I) for April 1971—March 1972 for a value not exceeding 12½ per cent thereof subject to a maximum of Rs. 25,000, the import of a single item not exceeding Rs. 2,000 in value. This restriction shall not apply to the shipments made against irrevocable letters of credit opened on or before the date of this Public Notice.

3. The import policy for spare parts for the period April 1971—March 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—वास्तविक उपयोक्ताओं और पंजीकृत निर्यातकों द्वारा फालतू पुर्जों का आयात।

संख्या 19-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 2) और आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा प्रक्रिया हैंडबुक 1971 की कंडिका 84 में यथानिहित वास्तविक उपयोक्ताओं और पंजीकृत निर्यातकों से संबंधित फालतू पुर्जों के लिये आयात नीति में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है :—

(1) वृहत् पैमाने क्षेत्र के वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में, अप्रैल, 1971 मार्च, 1972 अवधि की आयत व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 5 के अनुसार फालतू पुर्जों के लिये जारी किये गये पुनरावृत लाइसेंसों का मूल्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा घटा कर एक-तिहाई कर दिया जाएगा। तदनुसार पूर्वोक्त नीति के अनुसार वृहत पैमाने क्षेत्र के वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंसों के पहले मूल्य के दो तिहाई मूल्य के बराबर के लिये पुनरावृत लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

(2) कच्चे माल और संघटकों के लिए जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर अनुमेय फालतू पुर्जों छोटे औजारों यन्त्रोपकरण के फालतू पुर्जों सहित सूक्ष्म तथा मापक औजार के आयात की अनुमति आयत व्यापार नियंत्रण नियम तथा प्रक्रिया हैंडबुक 1971 की उपकंडिका 84(1) (बी) में यथा निर्धारित 24 प्रतिशत के स्थान पर लाइसेंस के समस्त मूल्य के भीतर ही उसके अंकित मूल्य के केवल 10 प्रतिशत की सीमा तक दी जाएगी। यह प्रतिबन्ध पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को जारी किये गये लाइसेंसों के लिये भी लागू होगा और उनके मामले में आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा प्रक्रिया हैंडबुक 1971 की उप कंडिका 84 (3) (i) में यथा निहित निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिये जिसके संबंध में आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं फालतू पुर्जों के आयात करने की सुविधा भी अब उपलब्ध नहीं होगी।

2. गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिये जारी किये गये समेकित लाइसेंसों के मामले में लाइसेंसधारी को ऐसे लाइसेंसों के आधार पर लाइसेंस के समस्त मूल्य के भीतर उसके अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक फालतू पुर्जों के आयात करने की अनुमति दी जाएगी। इस मूल्य के भीतर लाइसेंसधारी अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि की रेडबुक (वा० 1) के परिशिष्ट 3 में सूची-बद्ध प्रतिबंधित फालतू पुर्जों का आयात उस मूल्य के 12½ प्रतिशत तक कर सकता है इसकी अधिकतम धनराशि 25,000-रुपये के अधीन है और केवल एक वस्तु का आयात मूल्य में 2,000 रुपये से अधिक न हो। यह प्रतिबन्ध इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को या इस से पहले खोले गये अपरिवर्तनीय साखपत्रों के प्रति किये गये पोत लदानों के लिये लागू नहीं होगा।

3. फालतू पूर्जों के लिये अप्रैल 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिये आयात नीति तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972